S.No4(R)

(14)

# पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र./पुमु/पुमनि(अजाक)/म0प्र0/निस–2/1343/08दिनांक 27/07/08

प्रति,

**श्री सोहन लाल**
**सहायक संचालक,**
**भारत सरकार,**
**राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग,**
**छठी मंजिल, 'बी' विंग,लोक नायक भवन,**
**खान मार्किट, नई दिल्ली ।**

विषय :– आवेदिका सुनंदा मरावी, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./S-01/Chhattisgarh-03/Atrocity/2007/RU-III Date 27-06-07

–:0:–

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । उपरोक्त शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जॉच में पाया गया कि आवेदिका विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में हिन्दी विषय की सहायक प्राध्यापिका है । आवेदिका अपने विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में नहीं रहती है एवं अपनी मर्जी से महाविद्यालय आना जाना करती है । प्रभारी प्राचार्य द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर अनुपस्थित पाये जाने से आवेदिका के साथ–साथ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का भी स्पष्टीकरण समरूप से लिया गया, जिससे वह असंतुष्ट होकर विशेष थाने में बढ़ा–चढ़ाकर आवेदन प्रस्तुत की है । आवेदिका द्वारा पूर्व में पदस्थ रहे प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध एवं अपने मकान बिल्डर के विरूद्ध भी जातिगत प्रताड़ना की झूठी शिकायत की गई थी । जॉच के दौरान किसी भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षियों, सहकर्मियों या अपने परिजनों को आवेदिका द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अनावेदक प्राचार्य ने उसके साथ लज्जाभंग या लैंगिग शोषण का कार्य किया है । अनावेदक प्राचार्य द्वारा प्रशासकीय दृष्टिकोण से आवेदिका के कार्य में कसावट लाने हेतु की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रताड़ना महसूस कर बढ़ा–चढ़ाकर झूठी शिकायत किया जाना पाया गया है ।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन मय मूल शिकायत पत्र एवं सहपत्रों के साथ संलग्न कर, अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

17.7

**( आर0सी0पटेल )**
**पुमनि(अजाक/माअ–सेल)**
**पुलिस मुख्यालय, रायपुर**